भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 608
गुरुवार, 25 जुलाई, 2024 / 3 श्रावण, 1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

**विमानपत्तन की छत का गिरना**

**608. श्रीमती साजदा अहमद:**
**डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे:**
**श्री के. सी. वेणुगोपाल:**
**श्री निलेश ज्ञानदेव लंके:**
**श्री नागेश बापुराव अष्टिकर पाटिल:**
**प्रोफ. वर्षा एकनाथ गायकवाड़:**
**श्री संजय दीना पाटिल:**
**श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते-पाटील:**
**श्रीमती सुप्रिया सुले:**
**श्री भास्कर मुरलीधर भगरे:**
**श्री बजरंग मनोहर सोनवणे:**
**श्री खलीलुर रहमान:**
**डॉ. संजय जायसवाल:**
**श्री कल्याण बनर्जी:**
**श्री सुदामा प्रसाद:**
**श्री आनंद भदौरिया:**
**श्री दयानिधि मारन:**
**श्री प्रद्युत बोरदोलोई:**

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश के विभिन्न विमानपत्तनों, विशेषकर दिल्ली, गुवाहाटी, राजकोट और जबलपुर में छत गिरने की घटनाओं की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इन घटनाओं में हुई मौतों और घायल हुए लोगों की संख्या का ब्यौरा क्या है:

(ग) क्या सरकार ने घायलों और मारे गए लोगों के परिवारों को कोई वित्तीय सहायता जारी की है और यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के दौरान ऐसी प्रत्येक घटना का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस मामले में कोई जांच आरम्भ की है और यदि हां, तो इस संबंध में की गई कार्रवाई और जवाबदेही तय करने सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का लोगों की सुरक्षा और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकना, सुनिश्चित करने के लिए देश भर में सभी विमानपत्तनों का निरीक्षण करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है

(च) क्या ठेकेदारों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र/सीसी प्रदान करने से पूर्व समुचित लेखा परीक्षा/निरीक्षण नहीं किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) सरकार द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में पहचान किए गए संरचनात्मक और सुरक्षा संबंधी मुद्दों का समाधान करने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है; और

(ज) क्या विगत पांच वर्षों के दौरान निर्मित सभी विमानपत्तनों के संबंध में कोई तथ्यान्वेषी जांच आरम्भ की जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)**

(क) : भारी बारिश के दौरान, दिनांक 28.06.2024 को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, दिल्ली के टर्मिनल 1डी पर फोरकोर्ट कैनोपी गिर गई। इसके अतिरिक्त, क्रमश: दिनांक 27.06.2024 और 29.06.2024 को जबलपुर और राजकोट हवाईअड्डों पर टेंसिल फैब्रिक से बनी कर्ब एरिया कैनोपी टूट गई, जो एक गैर-संरचनात्मक तत्व है।

(ख): दिल्ली हवाईअड्डे पर हुई इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और नौ लोग घायल हो गए। जबलपुर और राजकोट हवाईअड्डे पर किसी की जान नहीं गई और न चोट आई है।

(ग): चूंकि, दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा लिमिटेड (DIAL) का प्रचालन, प्रबंधन और विकास समझौते (OMDA) द्वारा किया जाता है, जिस पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) और डायल के बीच हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसके तहत प्रचालन, रखरखाव, विकास, डिजाइन, निर्माण, उन्नयन, आधुनिकीकरण, वित्त, प्रबंधन और हवाईअड्डे की अच्छी मरम्मत और परिचालन स्थिति में रखने का कार्य संयुक्त उद्यम कंपनी अर्थात डायल को सौंपा गया है। डीआईएएल की ओर से मृतक के परिवार को 20 लाख रुपए और प्रत्येक घायल व्यक्ति को 3 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है।

(घ): इस मंत्रालय ने दिल्ली टर्मिनल 1 पर हुई घटना का आकलन करने के लिए आईआईटी दिल्ली के अवसंरचना इंजीनियरों की एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति गठित की है और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने जबलपुर और राजकोट हवाईअड्डों पर हुई घटनाओं के मूल कारण का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है।

(ङ) से (ज): सभी हवाईअड्डा प्रचालकों को निर्देश दिया गया है कि वे हवाईअड्डा भवनों और संबंधित अवसंरचनाओं की संरचनात्मक स्थिरता का आईआईटी, एनआईटी, सीबीआरआई, ईआईएल आदि जैसे प्रतिष्ठित सरकारी संस्थान/निकाय के माध्यम से तीसरे पक्ष द्वारा ऑडिट कराएं। सभी हवाईअड्डा प्रचालकों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे प्रत्येक वर्ष मानसून के आगमन से पहले भवन के सभी सिविल, विद्युतीय और तकनीकी पहलुओं का गहन मूल्यांकन करें, जिसमें छत की संरचना की डिजाइन, इमारत का नक्शा और कारीगरी भी शामिल हो। इसके अतिरिक्त, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) नए हवाईअड्डों का लाइसेंसिंग निरीक्षण करता है और डीजीसीए नागर विमानन अपेक्षा अनुभाग 4 श्रृंखला भाग I और

अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ) अनुलग्नक 14 खंड 1 के अनुसार एयरसाइड अवसंरचना और सुविधाओं के अनुपालन की जांच करता है। उद्योग पद्धति और प्रासंगिक संरक्षा मानकों के अनुसार हवाईअड्डों पर संरक्षा और रखरखाव मानकों का पालन किया जा रहा है। राष्ट्रीय भवन संहिता के अनुसार डिजाइन और निर्माण चरण के दौरान भवन संरक्षा भी शामिल है।

******